

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28( )परावि/प्रशा.2/से.नि.पंचा.प्र.अ./पुनर्नियुक्ति/2015/3415 जयपुर,दिनांक: 26.7.18

:: आदेश ::

निम्न सेवानिवृत्त पंचायत प्रसार अधिकारियों द्वारा संविदा नियुक्ति लेने हेतु किये गये आवेदनो के कम में इन्हे इनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समिति में पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पदो पर कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 17(10)डीओपी/ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 में वर्णित दिशा-निर्देश एवं परिशिष्ट-क के द्वारा निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक के लिए पुनर्नियुक्ति किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम से.नि. पंचायत प्रसार अधिकारी	सेवानिवृत्ति दिनांक	स्थान जहाँ संविदा पर नियुक्ति किया जाता है	विशेष विवरण
1	श्री अर्जुन सिंह	31.05.2017	पं.स. दूदू (जयपुर)	-
2	श्री राजेन्द्र शर्मा	30.09.2017	पं.स. अटरू (बारां)	-
3	श्री हरीश चन्द्र पंडया	31.12.2014	पं.स. सराडा (उदयपुर)	आदेश क्रमांक 3764 दिनांक 19.09.16 द्वारा एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति किया गया, को और एक वर्ष के लिए
4	श्री भीमसिंह जाट	31.12.2015	पं.स. सराडा (उदयपुर)	आदेश क्रमांक 3764 दिनांक 19.09.16 द्वारा एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति किया गया, को और एक वर्ष के लिए
5	श्री पदम चन्द जैन	31.08.2016	पं.स. बौली (सं.मा.)	आदेश क्रमांक 1514 दिनांक 19.04.17 द्वारा एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति किया गया, को और एक वर्ष के लिए

उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के रिक्त पद पर किसी पंचायत प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाने पर उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जावेगी।

उक्त कार्मिको को संविदा नियुक्ति पर कार्यग्रहण की दिनांक से उपस्थिति के अनुसार पारिश्रमिक देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र शेखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जयपुर, बारां, उदयपुर, सवाई माधोपुर
2. विकास अधिकारी, पं.स. दूदू (जयपुर), अटरू (बारां), सराडा (उदयपुर), बौली (सं.मा.)।
3. आदेश में वर्णित सेवानिवृत्त पंचायत प्रसार अधिकारी
4. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव